1.10.2021	वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। TOR की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली में विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:30:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी धीरेन्द्र सिंह, R.A.S.

मु.नं.	किस्म मुकदमा	तारीख रजू
185/2005	प्रा.पत्र / 136 L.R. Act.	01.07.1996

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये (लैण्ड होल्डर करौली) तह. व जिला करौली (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

01. राधाबाई बेवा मोती सिंह जाति राजपूत निवासी गोपालपुर साय तह. करौली
02. सुभाष चन्द पुत्र त्रिलोक चन्द साकिन निवासी दिल्ली।
03. उमा कुमारी बेवा गोपालराम निवासी वैर
04. बृज बिहारी पुत्र दुर्गाप्रसाद ब्राह्म्ण निवासी करौली
05. श्रीमति सावित्री देवी पत्नी मगन सिंह राजपूत निवासी करौली।
06. राधारमन सिंह पुत्र जोरावर सिंह जाति गूर्जर निवासी करौली
07. बाल किशन सिंह पुत्र बख्तावर सिंह गुर्जर धावाई निवासी करौली।
08. सुमेर सिंह पुत्र स्वरूप सिंह गूर्जर निवासी खेड़ा (रेहकापुरा) तह. करौली।
09. राजेन्द्र उर्फ काली पुत्र छगन लाल जाति ब्राह्म्ण निवासी रूग्गापुरा तह. करौली।
10. केदार सिंह पुत्र जोहरी लाल गूर्जर गुलाब बाग, करौली (मृतक)
11. अतर सिंह पुत्र स्वरूप सिंह गूर्जर निवासी खेड़ा (रेहकापुरा) तह. करौली।
12. जिला कलैक्टर जागीर सवाई माधोपुर (राज.) – अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 1/10/2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:30:07 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार करौली द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R. Act. के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया है

Scanned with CamScanner

(2)

कि ग्राम गोपालपुर साय की भूमि आराजी खसरा नम्बर 329 रकबा 93 बीघा जमाबंदी सम्वत् 2017 से 2020 में चराई के योग्य सिवायचक दर्ज है तथा विशेष विवरण के कालम में श्रीमती राधाबाई निवासी गोपालपुर साय को आवंटन का नोट अंकित है। नोट में नामान्तकरण संख्या व दिनांक अंकित नहीं है। आवंटन जागीर कमिशनर द्वारा किया जाना जाहिर किया है लेकिन जागीर कमिश्नर द्वारा आवंटन आदेश संख्या दर्ज नहीं है एवं दिनांक की जगह खाली छोड़ी गई है। जमाबंदी सम्वत् 2021 से 2024 में पुनः खसरा नम्बर 329 रकबा 93 बीघा के सामने श्रीमती राधाबाई के नाम जागीर कमिश्नर के यहां से आवंटन होने का नोट अंकित किया गया है तथा द्वितीय नोट में नामान्तकरण संख्या 37 दिनांक 02.04.1969 द्वारा ग्राम पंचायत से मंजूर होने पर श्रीमती राधाबाई बेवा मोती सिंह के नाम अमल किये जाने का नोट अंकित है तथा नामान्तरकण संख्या 38 द्वारा उक्त दिनांक 02.04.1969 को मंजूर होने पर उक्त खसरा नम्बर 329 में से 60 बीघा भूमि सुभाष चन्द्र पुत्र त्रिलोक चन्द सा. दहली उमा कुमारी जोजे गोपालराम सा. वैर बृजबिहारी पुत्र दुर्गाप्रसाद ब्राह्म्ण सा. करौली के नाम स्वीकृति हुई है। नामान्तकरण संख्या 37 द्वारा आवंटन एवं नामान्तकरण संख्या 38 द्वारा उक्त खसरा नम्बर 329 में से हस्तान्तरण एक ही दिनांक 02.04.1969 से तस्दीक किये गये हैं और नामान्तकरण संख्या 38 का आधार ही नामान्तकरण संख्या 37 था। एक ही दिन में आवंटन अमल खातेदारी व हस्तान्तरण का नामान्तकरण खोलकर स्वीकृत हुआ है। राधाबाई के नाम सम्वत् 2017 से 2020 की जमाबंदी के नोट की पुनरावृति जमाबंदी सम्वत् 2021 से 2024 में होना व अमल नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से संदेहपूर्ण है। जमाबंदी सम्वत् 2025 से 2028 के मुताबिक राधाबाई की गैरखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 329/1 रकबा 33 बीघा में से नामान्तकरण संख्या 39 द्वारा 20 बीघा भूमि श्रीमति सावित्री पत्नि मगन सिंह राजपूत निवासी करौली के नाम तथा नामान्तकरण संख्या 46 द्वारा 10 बीघा भूमि राधारमण पुत्र जोरावर सिंह व बालकृष्ण पुत्र बख्तावर सिंह के नाम दर्ज किया जाना नियम विरूद्ध है। जमाबंदी सम्वत् 2029 से 2032 में उक्त नामान्तकरणों का अमल किया जाकर शेष [illegible] बीघा भूमि श्रीमती राधाबाई बेवा मोती

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:30:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

③

सिंह के नाम गैर खातेदारी में दर्ज हो रही है लेकिन 30 बीघा भूमि का क्रेताओं के नाम खातेदारी खण्ड़ (ख) में इन्द्राज किया जाना भी अवैध है। शेष 60 बीघा भूमि सुभाष चन्द्र वगैरहा की गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त हस्तान्तरण व नामान्तकरण संख्या 164, 200, 201, 202, 205 आदि के अमल होने पर नवीन इन्द्राज संलग्न जमाबंदी अनुसार हो रहे हैं। गिरदावरी सम्वत् 2050 से 2052 तक कोई काश्त उक्त आराजी में दर्ज नहीं है। कृषि भूमि बंजड है। जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर की पालना में उपरोक्त इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2017 से 2020 व 2021 से 2024 एवं खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016 से 2019 के विशेष विवरण वाले कथित इन्द्राज एवं पश्चात्वर्ती इन्द्राजात निरस्त किया जावे।

अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण नं. 1ता5,12 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध दिनांक 15.12.1997 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। अप्रार्थीगण नं. 6 ता 11 ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 L.R. Act. के तहत नामान्तकरणों को एक साथ चेलेन्ज करने का पेश किया है जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी को जिन–जिन नामान्तकरणों को उसे चैलेन्ज करना था, उन सब की अलग–अलग तारीख एवं अलग–अलग सम्वत् है। एक साथ इतने नामान्तकरणों को चैलेन्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी नं. 1 श्रीमति राधाबाई को यह भूमि जागीर कमिश्नर ने खुदकाश्त कमिश्नर की हैसियत से भूमि ऐलोट की थी जिसका उल्लेख गिरदावरी सम्वत् 2016 से 2019 में मौजूद ... तहसील करौली के आदेश में दिनांक 07.06.1963 के आदेश का हवाला है ... उल्लेख जमाबंदी सम्वत् 2017 से 2020 में मौजूद है। उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील सक्षम न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:30:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(5)

में प्रार्थी द्वारा पेश नहीं की गई है। इसलिए यह आदेश फाईनल हो चुका है। AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट पेज 1731 के अनुसार हर अदालत का यह फर्ज है कि वह इस आदेश का सम्मान करें। यह आदेश रेस्जूडीकेटा का असर रखता है और उक्त आदेश के तहत नामान्तकरण राधाबाई के नाम तस्दीक हो चुका है। जिसकी पूर्ण जानकारी प्रार्थी को है इसलिए एस्टोपल के सिद्धान्त से भी प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र को पेश करने से एस्टोप्ड है जागीर कमिश्नर खुदकाश्त के आदेश को प्रार्थी न्यायालय हाजा से चैलेन्ज कराना चाहता है जो वाजिब नहीं है। कानून के विपरीत है। जागीर न्यायालय हाजा के मातहत अधिकारी कानूनन नहीं है इसलिए जागीर कमिशनर की पालना में किये गये इन्द्राज की दुरस्ती का यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है और जागीर कमिश्नर के आदेश की दुरस्ती यह न्यायालय नहीं कर सकता। अतः कार्यवाही नलिटी है। इस आदेश के तहत ऐलोटी खातेदार बन गया है। इसलिए अब धारा 136 L.R. Act. की आड़ में यह केस धारा 136 L.R. Act. के दायरे के बाहर होत हुए पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है ना ही अन्दर मियाद है। अलग–अलग व्यक्ति जिनके नाम पूर्ण खातेदारी अंकित है जमीन जिन्होंने खरीदी है और पूर्व खातेदारान जिन्होंने भूमि बेची है वह सब पूर्व विक्रेताओं के पद चिन्हों में आते हैं और सब के खिलाफ एक जनरल प्रार्थना पत्र पेश करना कतई गलत है। उपरोक्त आपत्तियों को सुरक्षित रखते हुए हम जबावदारान का कब्जा कब्जा मुखालफाना है जिसकी भी अवधि पूरी हो चुकी है और खरीददार व उसके प्रेडीसेसर का हक कब्जे के आधार पर पूर्ण हो चुका है और उनके हितों को प्रभावित करने के लिए धारा 136 L.R. Act. का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं जवाबदारान प्रत्येक के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अलग–अलग पेश करें तो हम जवाबदारान विस्तार से जवाब देने का हक सुरक्षित रखते हैं। प्रार्थना पत्र में मिस जोइण्डर ऑफ पार्टीज व मिस जोइण्डर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन का सिद्धान्त आरिज है और यह प्रार्थना पत्र सभी व्यक्तियों के साथ चलने योग्य नहीं है। धारा 136 L.R. Act. में जरूरी शर्त है उनकी पालना नहीं की गई तहसीलदार प्रार्थी ने दस्तावेज जो लैण्ड रिकार्ड के बताये है वह पेश नहीं किये हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:30:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तहसीलदार प्रार्थी ने भिन्न–भिन्न व विभिन्न समय–समय पर विभिन्न समय में भिन्न–भिन्न नामान्तकरणों को तस्दीक किया है वही तहसीलदार प्रार्थी अब उन नामान्तकरणों के विरूद्ध कार्यवाही करने से एस्टोप्ड है। जवाबदारान के हक में हुये विक्रय पत्रों को चैलेन्ज करने का कोई हक प्रार्थी को नहीं है। यदि प्रार्थी को चैलेन्ज करना चाहे तो उसे दीवानी न्यायालय में ही चैलेन्ज करना चाहिये था। जवाबदारान के रजिस्टर्ड बयनामाओं से यह जमीनें खरीदी है जिनका कानूनन सही होने का प्रजेम्पशन है। राधाबाई का देहान्त हो चुका है। मरे हुये व्यक्ति के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। उसकी मृत्यु हुये 15–20 साल से अधिक समय हो गया है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश करना नलिटी है। प्रार्थी ने इन जमीनों के मुकद्मों में खातेदारी हकूकों को पहिले कभी चैलेन्ज नहीं किया। इसलिए प्रार्थी के खिलाफ एस्टोपल का सिद्धान्त आरिज है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है। यही जवाब मृतक केदार के वारिसान द्वारा प्रस्तुत किया है।

बहस प्रार्थी तहसीलदार पैरोकार व वकील अप्रार्थीगण सुनी गयी। बहस में सरकारी पैरोकार द्वारा बताया कि आवंटन अमल एवं उसके आधार पर बेचान संबंधित नामान्तरण संख्या 37 व 38 एक ही दिन अर्थात 2/4/69 को खोले गये हैं, साथ ही यह भी कि जिस बेचान के आधार पर यह नामान्तरण संख्या 38 खोला गया है वह बेचान दिनांक 12.02.1969 अर्थात पूर्व का है जबकि नामान्तरण संख्या 37 से पूर्व राधा देवी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम ही नहीं होने से उसका बेचान कैसे संभव था। साथ ही यह भी कि भूमि बंजड़ नाकाबिल काश्त थी व है। अप्रार्थीगण द्वारा बहस में उनके द्वारा पूर्व में दिये जवाब में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस पैरोकार तहसीलदार [illegible] का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड [illegible] अवलोकन कर विवेचन किया गया। प्रस्तुत खुदकाश्त कमिश्नर रिपोर्ट [illegible] 27.05.1963 से अप्रार्थी नं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:30:07 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

राधाबाई को खसरा नं. 329 रकबा 93 बीघा ग्राम गोपालपुर साय तह. करौली का जागीर कमिश्नर खुदकाश्त द्वारा आवंटन किया जाना एवं उक्त आदेश की अनुपालना के आदेश दिनांक 07.06.63 से अप्रार्थी नं. 1 के हक में नामान्तकरण सं. 37 दिनांक 02.04.1969 को सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया जाना एवं नामान्तकरण सं. 38 से अप्रार्थी नं. 1 ता. 4 के हक में बयनामों से एवं नामान्तकरण सं. 46 से अप्रार्थी नं. 39 से अप्रार्थी नं. 5 व नामान्तरण संख्या 46 से अप्रार्थी नं. 6 व 7 के हक में बयनामों से खातेदारी इन्द्राज होना व अन्य नामान्तकरण नं. 164, 200, 201, 202, 205 को अन्य क्रेतागण अप्रार्थी नं. 8 ता. 11 के हक में खातेदारी दर्ज होना प्रकट होता है। नामान्तरण संख्या 37 एवं उसके पश्चातवर्ती समस्त नामान्तरण आवंटन आदेश दिनांक 27.05.1963 की ही अनुबर्ती/पश्चातवर्ती कार्यवाहिया है। इस आवंटन आदेश को चैलेन्ज किये बिना पश्चातवर्ती कार्यवाहियॉं वैध मानी जावेंगी। आवंटन आदेश दिनांक 27.05.63 तथा उसके अनुपालन आदेश दिनांक 07.06.63 को किसी भी पक्ष प्रार्थी द्वारा आज दिवस तक किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं देना पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व राजस्व रिकार्ड से प्रकट है। प्रार्थी द्वारा इस बाबत् मात्र यह प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R. Act. ही प्रस्तुत किया गया है। बयनामा वैध है या अवैध, इस बाबत् तय करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को न होकर सिविल न्यायालय को है। जागीर कमिश्नर खुदकाश्त के आदेश की अपील सुनवाई का हक भी न्यायालय हाजा का नहीं है। जागीर कमिश्नर खुदकाश्त न्यायालय हाजा का अधीनस्थ न्यायालय भी नहीं है। धारा 136 L.R. Act. के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। धारा 136 L.R. Act. के तहत नामान्तकरण को दुरूस्त किये जाने या निरस्त किये जाने व बयनामा को निरस्त करने का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार करौली सारहीन व तथ्यहीन एवं विधि सम्मत नहीं होने से चलने योग्य नहीं है। ख[illegible]ये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:30:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(7)

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार विरूद्ध अप्रार्थीगण धारा 136 L.R. Act. खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बनाया गया।

उपखंड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2021.10.10 15:30:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner